

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
National Highway Div., PWD,
पत्रांक—

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग



निकट वरुणा पुल, नदेसर, वाराणसी
Near Varuna Bridge, Nadesar,
वाराणसी Varanasi -221002
E-mail: nhvaranasi@rediffmail.com

दिनांक—

प्रमाण-पत्र

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ भारत सरकार के
पत्रांक-8बी/यू.पी./06/47/2022/एफ.सी./211 दि. 07.07.2022 के बिन्दु-03, रेलवे विभाग से संबंधित

आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के अन्तर्गत नीति आयोग के अनुमोदनोपरान्त ही परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। रेलवे विभाग से सम्पर्क किये जाने पर अवगत कराया गया कि रेलवे विभाग द्वारा लेवल क्रॉसिंग पर अपने Restricted Zone में कोई कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है एवं मार्ग का चौड़ीकरण आर.ओ.डब्ल्यू की सीमा तथा रेलवे की बाउण्ड्री लिमिट तक ही सीमित होने की दशा में No Objection Certificate की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

प्रमाणित किया जाता है—
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक बानिजी प्रकरण
जीमपुर

(मृत्युन्मेष सिंह यादव)
अधिशासी अभियन्ता
Executive Engineer
N.H. Div P.W.D
Varanasi

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, जौनपुर

विद्युत संख्या-(3)
(11)

पत्रांक- 1591 /सिंख0जौ0/एन0ओ0सी0/ दिनांक 23.07 - 2022

विषय- गिर्जापुर-भदोही-जौनपुर-अम्बेशकरनगर-आगोछा मार्ग रा.मा.सं.-135ए के चैनेज 34.90 से 73.134 के चार लेन चौड़ीकरण हेतु अनापत्ति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-आपका पत्रांक-888/29सी, दिनांक 22.07.22।

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0मि0, नदेसर वाराणसी

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय मार्ग संख्या-135ए (भदोही से जौनपुर के मध्य) को नहर की भूमि में चौड़ीकरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग की गयी है।

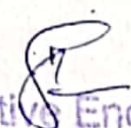
उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि राजमार्ग के संरक्षण चैनेज 58.200, पर नहर के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है तथा उक्त मार्ग (रा.मा.सं.-135ए) के R.O.W. के सीमा में ही चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा दिनांक 21.07.2022 को जिसमें आपके सहायक अभियन्ता श्री जर्नादन राम पाल, जूनियर इन्जीनियर, शरद चन्द्र यादव एवं इस खण्ड के सहायक अभियन्ता श्री प्रदीप कुमार गौतम एवं जूनियर इन्जीनियर श्री संजीव कुमार के द्वारा साइट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त यह सुनिश्चित हुआ कि मार्ग के चौड़ीकरण में नहर के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है तथा उक्त मार्ग (रा.मा.सं.-135ए) के R.O.W. के अन्तर्गत ही मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः ऐसी स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

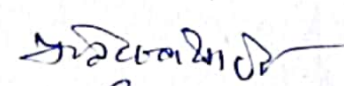

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, जौनपुर

पत्रांक- /सिंख0जौ0/एन0ओ0सी0/तदिनांक

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, अष्टदशम मण्डल, सिंचाई कार्य, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


Executive Engineer
N.H. Div P.W.D.
Varanasi

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, जौनपुर


प्रभागिय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर